दै. गोदातीर दि. 20.03.2025

सहा चोरट्यांना अटक, चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त; ग्रामीण पोलिसांची कारवाई

नांदेड (प्रतिनिधी) – पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांच्या ऑपरेशन फ्लश आउट अंतर्गत नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी आपल्या हद्दीत कारवाई करून सहा चोरट्यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून चोरीतील विविध प्रकारचा मुद्देमाल असा तीन लाख ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई १७ मार्च रोजी करण्यात आली असून सर्व आरोपी दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवले आहेत.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुशीलकुमार नायक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर यांनी पोलीस उपनिरीक्षक बी. ई. चव्हाण, हवालदार मोरे, तिडके, भिसे, कलंदर, शिरगिरे, माळगे आणि सिरमलवार यांच्या पथकाला आपल्या हद्दीत दाखल झालेल्या चोरीचे गुन्हे उघड करण्यासाठी आदेशित केले होते.

पोउनि बी. ई. चव्हाण यांनी सहकाऱ्यांना सोबत घेऊन गोपनीय माहिती काढत सहा जणांना वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अटक केली. त्यात स्वयंमदीप ऊर्फ लाल्या वसंत जोंधळे (वय १९), अमोल उर्फ बंटी अनिल नरवाडे ,(वय २१), अजय कुंडलिक नवघडे (वय २०), अनिल गणपत नवघडे (वय ३३) गंगाप्रसाद पुंडलिक नवघडे (वय २५). सर्व राहणार बळीरामपूर आणि विनोद उत्तम हनुमंते (वय ३२) रा. बेंद्री ता. नायगाव यांना अटक केली.

त्यांच्याकडून पाच क्विंटल सोयाबीन, दोन कृषी पंप, एक सबमर्सिबल पंप, दोन वेगवेगळ्या कंपनीच्या दुचाकी आणि एक ऑटो असा तीन लाख ८५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पथकाचे पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशीलकुमार नायक यांनी कौतुक केले.

दै. भास्कर दि. 20.03.2025

कार्रवाई गोलीबारी मामले के 2 आरोपी हिरासत में

संवाददाता | नांदेड़

मकोका की विशेष अदालत ने 10 फरवरी की गोलीबारी मामले में 19 मार्च को दोनों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस मामले में तीन लोग 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में हैं। 10 फरवरी को शहर के शाहिदपुरा इलाके में गोलीबारी की घटना में एक युवक की मौत हो गई थी और एक अन्य घायल हो गया था। इस मामले में शूटर जगदीश सिंह उर्फ जग्गा पंजाब राज्य का निवासी है। उसके साथ पंजाब से दो और नांदेड़ में उसका सहयोग करने वाले आठ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। इनमें से मनप्रितसिंघ उर्फ मन्नु गुरबक्षसिंह ढिल्लो उर्फ नहेंद (31), हरप्रितसिंह उर्फ हॅप्पी बाबूसिंह कारपेंटर (25, निवासी नांदेड़), अर्शदीपसिंह भजनसिंह गिल (22, निवासी पंजाब) को मकोका अदालत ने इन तीनों लोगों को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी हरजीतसिंह उर्फ राजू अमरजीतसिंह गिल (32) और नव गिरफ्तार जगजितसिंह उर्फ जग्गी दिलबागसिंह संधू को आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मकोका अदालत में पेश किया। सहायक लोक अभियोजक एड.यादव तलेगांवकर द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों को पुलिस हिरासत में भेजना आवश्यक है। अदालत के समक्ष विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद मकोका अदालत ने दोनों को सात दिन यानी 26 मार्च 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

डकैती के 6 आरोपी गिरफ्तार

नांदेड़ | प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर नांदेड़ ग्रामीण अपराध जांच दल ने 5 स्थानों पर चोरी और 1 स्थान पर सेंधमारी में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। टीम ने इनके पास से 3 लाख, 85 हजार रुपए का कीमती सामान जब्त किया है। अदालत ने अपराधियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के मार्गदर्शन में चलाए गए ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बालू माफिया, अवैध कारोबार और शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में अपराधियों की तलाश करते हुए 17 मार्च को नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर के मार्गदर्शन में अपराध जांच दल को चोरों के एक गिरोह के बारे में गोपनीय जानकारी मिली। तदनुसार, टीम ने जाल बिछाया और बलिरामपूर के सोयमदीप उर्फ लाल्या वसंत जोंधले, बलिरामपूर दीक्षा नगर के अमोल उर्फ बंटी अनिल नरवाडे, पेंटर अजय पुंडलिक नवघडे, मिस्त्री अनिल गणपत नवघडे, ऑटो चालक विनोद उत्तम हनुमंते व बलिरामपूर नालंदा नगर के गंगाप्रसाद पुंडलिक नवघरे को गिरफ्तार किया है। उपरोक्त आरोपियों से गहन पूछताछ करने पर उन्होंने 5 स्थानों पर चोरी व 1 स्थान पर सेंधमारी करना कबूल किया। उनके कब्जे से 5 क्विंटल सोयाबीन, 2 पानी की मोटर, 1 सबमर्सिबल मोटर, 1 बाइक, 1 पल्सर बाइक और 1 ऑटो रिक्शा इस प्रकार 3 लाख , 85 हजार रुपए का माल जब्त किया। छह अपराधियों को आगे की जांच के लिए अदालत में पेश किया गया और उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अपराधों का खुलासा करने वाली टीम में पुलिस उपनिरीक्षक चव्हाण, पुलिस कांस्टेबल मोरे, तिड़के, पुलिस कांस्टेबल भिसे, कलंदर, शिरगिरे, मालगे, सिरमलवार आदि शामिल थे।